31

₹ 20000

बीस हजार रुपये

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय मूल्य -रू0 9,00,000/-

मालियत -रू0 8,73,000/-

स्टाम्प -रू0 63,000/-

परगना - मोहनलालगंज

विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज
3. मोहल्ला/ग्राम - मस्तेमऊ

--------2

भारत INDIA NON JUDICIAL

रु.20000 बीस हजार रुपये TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. सम्पत्ति का विवरण–आराजी खसरा संख्या–631
5. मापन की इकाई –हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल–0.2910 हेक्टअर
7. सड़क की स्थिति–(परिशिष्ट के अनुसार)
   – सुल्तानपुर रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि)– नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
10. पेड़ों का मूल्यांकन – x
11. बोरिंग/कुआं/अन्य – x
12. निर्माण का वर्ष – x
13. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं
14. प्रतिफल की धनराशि 9,00,000/– रूपये

-------3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
रु.5000 Rs.5000
पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौहद्दी

पूरब - भूमि खसरा संख्या-630
पश्चिम - भूमि खसरा संख्या-613
उत्तर - भूमि खसरा संख्या-632
दक्षिण - भूमि खसरा संख्या-627 व 628

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

संदीप टण्डन पुत्र श्री लक्ष्मीनाथ टण्डन निवासी-म0नं0-329/21, बाग टोला, चौक, लखनऊ, उ0प्र0।

क्रेता का विवरण

मेसर्स अमरावती इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 कार्यालय पता-498/143, गोपाल सदन, प्रथम तल, निकट-आई0टी0 चौराहा, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा अधोहस्ताक्षरी श्रीकान्त मिश्रा पुत्र श्री ए0एन0 मिश्रा।

--------4

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

मनकि संदीप टण्डन पुत्र श्री लक्ष्मीनाथ टण्डन निवासी म0नं0-329/21, बाग टोला, चौक, लखनऊ, उ0प्र0, का हूँ :-

जो कि मैं विक्रेता भूमिधरी आराजी खसरा संख्या-631 कुल रकबा-0.2910 हेक्टेयर स्थित ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला लखनऊ, का मालिक कामिल व काबिज हूँ। उक्त आराजी विक्रेता ने श्रीमती अमिता शर्मा से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया है, जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम दर्ज है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि

-------5

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

से पूर्णतया बरी व पाक–साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है।

विदित हो कि अमरावती रेजीडेन्सी प्रा0लि0 ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में अपना इण्टीग्रेटेड टाउनशिप में रजिस्ट्रेशन कराया है और उपरोक्त क्रेता उसकी कन्सोंटियम कम्पनी है। अतः इस विश्वास के आधार पर कि अमरावती रेजीडेन्सी प्रा0लि0, जिसके निदेशकगण रवि प्रकाश पाण्डेय व रजनीकान्त मिश्रा हैं, यदि इण्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास का कार्य स्वयं करते हैं, तो विक्रेता इस भूमि को देने को तैयार है, परन्तु यदि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति को उपरोक्त लाइसेंस हस्तान्तरित किया जाता है या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है तो विक्रेता को अधिकार प्राप्त होगा कि वह भूमि के विक्रय मूल्य पर 12 प्रतिशत ब्याज जोड़कर वापस खरीद सकता है और क्रेता को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः यह भूमि एक विशेष प्रयोजन हेतु केवल विशिष्ट व्यक्तियों को ही विक्रय की जा रही है। अतः अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त भूमि नम्बरी व

------6

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पैमायशी, को बकीमत मु0 रूपया–9,00,000/– (नौ लाख रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया–4,50,000/– (चार लाख पचास हजार पांच सौ रूपया मात्र) होते हैं, मैं बदस्त क्रेता मेसर्स अमरावती इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 कार्यालय पता–498/143, गोपाल सदन, प्रथम तल, निकट–आई0टी0 चौराहा, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा अधोहस्ताक्षरी श्रीकान्त मिश्रा पुत्र श्री ए0एन0मिश्रा, के पक्ष में बय कतई किया यानि बेच दिया और कुल जरसमन हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या विक्रेता के किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जताये या दावा करे तो दावा

----7

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या कब्जदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व विक्रेता के वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल

----- 8

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे कोई मुकाम उज्रका न होगा। अब आज की तारीख से क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रीत भूमि को समस्त राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लेवें, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ के अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम में स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल-0.2910 हेक्टेअर है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा सरकारी मूल्य **रूपया** 30,00,000/- प्रति हेक्टेअर की दर से

-----9

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुवलिग रुपया–8,73,000/– होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–स.वि.क.नि.5–2756/ 11–2008–500 (165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रुपया–63,000/– का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं

-----10

किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना मे अधिगृहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है तथा 500 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण नहीं है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं लगा है और उक्त भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं।

विदित हो कि अमरावती इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0, अमरावती रेजीडेन्सी प्रा0लि0 की कन्सोर्टियम कम्पनी है।

लिहाजा यह बैनामा रूबरू गवाहान खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरूस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर करके बैनामे का निष्पादन किया।

<u>विवरण भूमि बिक्रीशुदा</u>

भूमिधरी आराजी खसरा संख्या–631 कुल रकबा–0.2910 हेक्टेयर स्थित ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

-----11

तफसील वसूलयाबी जरसमन

कुल विक्रय मूल्य रुपया 9,00,000/- (नौ लाख रुपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से नकद प्राप्त कर लिया है। अब विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता को क्रेता से कुछ भी धनराशि पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक : 22.06.2013

ह0 विक्रेता

1. गवाह : [illegible]

S/o [illegible]

पता : R/o 346/93 [illegible]

लखनऊ

2. गवाह : संदीप सिंह

एडवोकेट

पता : कलेक्ट्रेट कोर्ट

लखनऊ

ह0 क्रेता

टाइपकर्ता

(सोनू बालाजी)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(शशिकान्त मिश्रा)

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

0–200 मीटर की त्रिज्या में मानचित्र

भूमिधरी आराजी खसरा संख्या- 631 कुल रकबा-0.2910 हेक्टेयर स्थित ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

आज दिनांक 24/09/2013 को

बही सं 1 जिल्द सं 4077

पृष्ठ सं 123 से 146 पर क्रमांक 12434

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय

उ.नि. मोहनलालगंज

लखनऊ

24/9/2013